वादी आशा V/s बद्रीलाल सं. वर्ष 93A/2020

क्र. हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकम जो की तामील
2.9.21	पत्रावली वास्ते ऑर्डर पेश हुई। उभय पक्ष/उपस्थित/प्रार्थीया के ज्ञा०पत्र प्रत्युत्तर में निवेदन किया है कि ग्राम बुहारी के खा०नं० 583, 671, 720, की भूमि स्व० बद्रीलाल की संयुक्त खातेदारी की भूमि बताई हुई है जिसमें स्व० बद्रीलाल का 1/7 हिस्सा दर्ज था। बाकि जमीन अन्य सह खातेदारान के नाम दर्ज है, जिसका कोई विवाद नहीं है। खातेदार बद्रीलाल के फौत होने पर नामान्तकरण सं० 469 अंतर्गत जाकर वारिसान के नाम खातेदारी दर्ज की गई। उक्त नामान्तकरण में प्रार्थीया का नाम आशा की जगह चूका दर्ज कर दिया गया, जिसकी जानकारी प्रार्थीया ससुराल में होने के कारण प्रार्थीया को नहीं हुई। प्रार्थीया के समस्त लीव डॉक्युमेंट्स में नाम आशा दर्ज है। अगर उक्त भूमि में प्रार्थीया का नाम चूका की जगह आशा दर्ज किया जाता है तो किसी को कोई हानि नहीं होने वाली है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जावे। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को पहले जवाबदेही तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं० 2 से 8 के विरुद्ध बावजूद सूचना हाजिर नहीं होने पर दि० 18.2.21 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं० 1 की ओर से राज० पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि विवादित जमीन में जरिये फौती नामान्तकरण से बगैर वारिस प्रार्थीया का नाम दर्ज हो चुका है तथा 1/56 हिस्सा जो है फौती नामान्तकरण करते समय प्रार्थीया का नाम आशा की	

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही सह इनिशियल्स जज	अहक

चूका इजहि गया। प्रार्थीया का सही नाम आशा है। उक्त भूमि में प्रार्थीया का नाम चूका के स्थान पर आशा किया जाना उचित है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं सहल पटमनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र, पेन कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैंक पास बुक, जन आधार कार्ड में प्रार्थीया का नाम आशा दर्ज है। बद्रीलाल के अन्य वारिसान अप्रार्थी सं० 2 से 8 ने दावपूर्व सूचना उपस्थित होकर उत्तर/एतराज पेश नहीं किया है। तहसीलदार डेगाना ने अपनी रिपोर्ट में यह स्वीकार किया है कि प्रार्थीया का सही नाम आशा है तथा उक्त भूमि की खातेदारी में चूका के स्थान पर आशा किया जाना उचित है।

उपर्युक्त विवेचन हेतुवार एवं तहसीलदार डेगाना की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है अतः प्रार्थीया का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम बूयटी के ख० नं० 582, 671, 720 में दर्ज चूंवा पुत्री बद्रीलाल के स्थान पर आशा पुत्री बद्रीलाल दर्ज किया जाकर रेवड़ दुरुस्त किया जावे। तहसीलदार डेगाना उन्मातुवार रेवड़ दुरुस्त करें। शेष खाता यथावत् रखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर हासिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)